

दहीतरमल बनाम गोकुलसु वर्मा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमहापुर (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा, स्थान निषेधाज्ञा, सु. नं. - 233/2010	नम्बर व ता अहकाम व हुकम की त में जारी
	<p>इस प्रकार वादीगण हीतरमलपुरा मालवा महापौर शान्तिवाहन पुत्र प्रहसमान इन्द्र नियामतगण कोतवाली के द्वारा वर्ष 1940-2010 से उपरोक्त पत्तों व संकेतों को खोला जा रहा है जो को उन्नीस सालों से कर्मचारी के के कारण अपोक्षित नहीं है तथा उपरोक्त गण स. 7 तारीख के तहत से कोई कर्मचारी दोष शेष नहीं है। अतः वरपत्र (वर्षानु क्रिय) पत्रों के अभाव में कोई कर्म- चारी अपोक्षित न हो सके। अतः वरपत्र पर निर्भर किया जाएगा।</p> <p>कोषमल सुभाष होम वास्तुकारा 31/01/10 द्वारा है। निर्दिष्ट आज दिनांक 25-6-18 राजस्थान लोक अदालत में सुनवाई में महामुद्रा सुनाया गया।</p> <p align="right"> 6/11- प्रहसमान इन्द्र R/S उपखण्ड अधिकारी श्रीमहापुर </p>	